



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 2469 /SEIAA/23

Date: 4/1/23

प्रति,

श्री विनोद कुमार लोहाटी
आत्मज स्व. श्री मदनमोहन लोहाटी,
निवासी- लोहाटी भवन, सुभाष रोड़,
वार्ड नं. 05, राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/294273/2022-प्रकरण क्र. 8675/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री हर्ष विजयवर्गीय, निवासी- 52, भगत सिंह मार्ग, देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड विधि) रकबा 1.90 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 748, 753, ग्राम मोरुखेड़ी, तहसील व जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री विनोद कुमार लोहाटी आत्मज स्व. श्री मदनमोहन लोहाटी, निवासी- लोहाटी भवन, सुभाष रोड़, वार्ड नं. 05, राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन बावत।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वी बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में पत्थर खदान (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड विधि) रकबा 1.90 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 748, 753, ग्राम मोरुखेड़ी, तहसील व जिला देवास (म.प्र.) परियोजना प्रस्तावक श्री हर्ष विजयवर्गीय, निवासी- 52, भगत सिंह मार्ग, देवास (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री हर्ष विजयवर्गीय, निवासी- 52, भगत सिंह मार्ग, देवास (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद कुमार लोहाटी आत्मज स्व. श्री मदनमोहन लोहाटी, निवासी- लोहाटी भवन, सुभाष रोड़, वार्ड नं. 05, राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. नवीन परियोजना श्री विनोद कुमार लोहाटी आत्मज स्व. श्री मदनमोहन लोहाटी, निवासी- लोहाटी भवन, सुभाष रोड़, वार्ड नं. 05, राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- III. एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 19.12.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति प्रस्तुत की गई।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 2449/खनिज/उ.प./2022-23 दिनांक 16.09.2022 (शेष अवधि 10.01.2032 तक) की प्रति।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 19.12.2021 के माध्यम से श्री हर्ष विजयवर्गीय, निवासी- 52, भगत सिंह मार्ग, देवास (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड विधि) रकबा 1.90 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 748, 753, ग्राम मोरुखेड़ी, तहसील व जिला देवास (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद कुमार लोहाटी आत्मज स्व. श्री मदनमोहन लोहाटी, निवासी- लोहाटी भवन, सुभाष रोड़, वार्ड नं. 05, राघोगढ़ जिला गुना (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 19.12.2021 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी।
- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, SEIAA द्वारा अनुमोदित


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

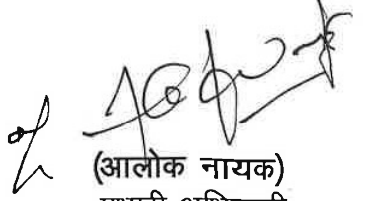
क्र.. 2470
प्रतिलिपि :-

/SEIAA/2022

भोपाल दिनांक : 4/1/23

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला देवास (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला देवास (म.प्र.)

6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. श्री हर्ष विजयवर्गीय, निवासी- 52, भगत सिंह मार्ग, देवास (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला देवास (म.प्र.)
11. संबंधित फाइल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

